छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

तृतीय विधान सभा नवम् सत्र अंक-08

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 20 मार्च, 2012

(फाल्गुन-30, शक संवत 1933)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रश्न किये जाने हेतु श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य का नाम पुकारा गया। श्री लखमा कवासी एवं प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों द्वारा आदिवासियों के साथ किये गये लाठी चार्ज की घटना पर सरकार से वक्तव्य की मांग की गई।

माननीय अध्यक्ष ने प्रतिपक्ष के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह किया।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा नारे लगाए गए।

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा निरंतर नारेबाजी के कारण सदन की कार्यवाही 11.03 बजे स्थगित की जाकर 11.09 बजे पुनः प्रारंभ हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

कार्यवाही प्रारंभ होते ही श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष द्वारा पुनः घटना का उल्लेख किये जाने पर माननीय अध्यक्ष ने प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह किया। श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने भी इस संबंध में प्रश्नकाल के पश्चात् अपनी बात रखने संबंधी कथन किया।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि प्रश्नकाल के पश्चात् गृह मंत्री घटना के संबंध में वक्तव्य देंगे।

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 11 (कुल 11) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उत्तर दिये गये।

प्रश्न संख्या 01 पर समुचित उत्तर नहीं आने के कारण प्रश्न को आगामी तिथि के लिये स्थगित किया गया।

प्रश्न संख्या 05 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य श्री परेश बागबाहरा के स्थान पर श्री अग्नि चंद्राकर, सदस्य अधिकृत थे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 25 तारांकित एवं 40 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. वक्तव्य

सर्व आदिवासी समाज के प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज के संबंध में

श्री ननकीराम कंवर, गृह मंत्री ने दिनांक 19.3.2012 को सर्व आदिवासी समाज के प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज के संबंध में वक्तव्य दिया।

श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष ने प्रतिक्रिया व्यक्त करना प्रारंभ किया।

प्रतिक्रिया के मध्य डॉ.सुभाऊ कश्यप द्वारा टिप्पणी किये जाने पर सत्ता पक्ष एवं प्रतिपक्ष द्वारा परस्पर नारेबाजी की गई।

माननीय अध्यक्ष ने आग्रह किया कि माननीय नेता प्रतिपक्ष के द्वारा प्रतिक्रिया व्यक्त किये जाने पर सदन के किसी माननीय सदस्य को नहीं बोलना चाहिये। सभी सदस्यों को इस परंपरा का पालन करना चाहिए।

निरंतर नारेबाजी एवं व्यवधान के कारण सदन की कार्यवाही 12.21 बजे स्थगित की जाकर 12.36 बजे पुन: समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष ने वक्तव्य पर प्रतिक्रिया व्यक्त की।

माननीय अध्यक्ष द्वारा ध्यानाकर्षण सूचना पढ़े जाने हेतु श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष का नाम पुकारा गया।

सदस्यों द्वारा व्यवधान किये जाने पर माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि - सदन की कार्यवाही नियम एवं प्रक्रिया के अनुसार ही चल सकती है। सदन की मान्य परंपरा है कि जो वक्तव्य दिया जाता है उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती है, उस पर चर्चा नहीं होती है। सदन की कार्यवाही चलाने में आप सभी सहयोग करें।

(प्रतिपक्ष के सदस्य नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में आये। माननीय अध्यक्ष ने स्वतः निलंबित सदस्यों को सभा के बाहर जाने का निर्देश दिया। प्रतिपक्ष के सदस्य गर्भगृह से बाहर गये।)

3. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री विरेन्द्र कुमार साहू, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का (सदन द्वारा पारित अशासकीय संकल्पों पर कार्यवाही संबंधी) षष्ठम् प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्रीमती लक्ष्मी बघेल, सदस्य ने बलौदाबाजार विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम टेकारी से सुहेला मुख्यमार्ग तक पुल-पुलिया सहित डामरीकरण करने,

(2) श्री संतोष बाफना, सदस्य ने जगदलपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत-

- (i) ग्राम ककनार से छिंदबहार होते हुए कोयनार तक सड़क निर्माण करने,
- (ii) ग्राम नगरनार से नदीबोड़ना होते हुये छूरा तक सड़क व पुलिया निर्माण करने,
- (iii) ग्राम मावलीपदर में हाईस्कूल भवन निर्माण करने,
- (iv) ग्राम केशापुर में गुड़ीपारा से मांझीपारा मार्ग पर नाले पर पुल निर्माण करने,
- (v) ग्राम कवालीकला में कदमपारा से टांगोपारा तक सड़क एवं पुल निर्माण करने,
- (vi) ग्राम लेण्ड्रा के मांझीगुड़ा में माध्यमिक शाला भवन निर्माण करने,
- (vii) ग्राम कोयनार से सेड़वा मार्ग पर कल्टाट नाले पर पुल निर्माण करने,
- (viii) ग्राम लेण्ड्रा के बेलापारा में आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण करने

(3) श्री रामजी भारती, सदस्य ने डोंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत-

- (i) ग्राम पाडादाह में एनीकट निर्माण करने,
- (ii) ग्राम पाडादाह में कृषि महाविद्यालय खोलने,
- (iii) ग्राम पाडादाह में आमनेर नदी पर पुल निर्माण करने

(4) श्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा, सदस्य ने विकासखंड धमधा अंतर्गत-

(i) ग्राम अकोला से गुमा तक रोड डामरीकरण करने,

(ii) ग्राम मलपुरीकला से अकोला होते हुए कुम्हारी तक रोड डामरीकरण व पुलिया निर्माण करने के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत कीं।

5. गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि-विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 (1) के अधीन निम्नलिखित सदस्य स्वमेव निलंबित हो गये हैं :-

सर्वश्री रविन्द्र चौबे(नेता प्रतिपक्ष), (डॉ.) प्रेमसाय सिंह टेकाम, रामदेव राम, अमरजीत भगत, हृदयराम राठिया, (डॉ.) शक्राजीत नायक, श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर, श्री धर्मजीत सिंह, श्रीमती सरोजा मनहरण राठौर, सर्वश्री महंत रामसुंदर दास, (डॉ.) हरिदास भारद्वाज, देवेन्द्र बहादुर सिंह, अग्नि चंद्राकर, (डॉ.) शिवकुमार डहरिया, चैतराम साहू, कुलदीप सिंह जुनेजा, गुरू रुद्र कुमार, अमितेश शुक्ल, श्रीमती अंबिका मरकाम, श्री लेखराम साहू, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, सर्वश्री बदरूद्दीन कुरैशी, ताम्रध्वज साहू, मोहम्मद अकबर, भोलाराम साहू, शिवराज सिंह उसारे, लखमा कवासी, भजन सिंह निरंकारी, टी.एस.सिंहदेव।

6. निलंबन अवधि की समाप्ति की घोषणा

माननीय अध्यक्ष ने नियम 250 (1) के अंतर्गत निलंबित सदस्यों की निलंबन अवधि समाप्त करने की घोषणा की ।

माननीय अध्यक्ष ने प्रतिपक्ष के सदस्यों से कार्यवाही में भाग लेने का आग्रह किया।

(सदन की कायवाही 12.57 बजे स्थगित की जाकर 1.22 बजे पुनः समवेत हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

7. सदन को सूचना

स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा भवन स्थित एलोपैथिक चिकित्सालय में दिनांक 20, 21 एवं 22 मार्च, 2012 को तीन दिवसीय स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित है। माननीय सदस्य प्रातः 11 बजे से सायं 5 बजे के मध्य शिविर का लाभ ले सकते हैं।

8. वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमशः)

सर्वश्री देवजी पटेल, सौरभ सिंह।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

अपराह्न 2.50 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनाँक 21 मार्च, 2012 (चैत्र, 1 शक संवत् 1934) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा